

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seaccg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.-3), छत्तीसगढ़ की दिनांक 04/06/2025 को संपन्न 645वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.-3), छत्तीसगढ़ की दिनांक 04/06/2025 को श्री जयसिंह म्हस्के, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री रमाशंकर मिश्रा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. डॉ. अजय विक्रम अहिरवार, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. श्री समीर स्वरूप, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेन्डा आयटम क्रमांक-1: 644वीं बैठक दिनांक 03/06/2025 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.-3), छत्तीसगढ़ की 644वीं बैठक दिनांक 03/06/2025 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-2: परिवेश 1.0 पोर्टल से प्रकरणों (गौण/मुख्य खनिजों / अन्य परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों) के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स खैरखेड़ा ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.-मोहम्मद जावेद), ग्राम-खैरखेड़ा, तहसील-चारामा, जिला-कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1306)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 153868/2020, दिनांक 21/05/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 28/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/02/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-खैरखेड़ा, तहसील-चारामा, जिला-कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 1626 एवं 2640/1, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता- 7,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 91,245 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 408वीं बैठक दिनांक 24/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री डुमेश्वर सोनी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नरती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1626 एवं 2640/1, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर, क्षमता-7,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा दिनांक 21/03/2017 को जारी की गई।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 163/खनिज/उ.प./2022-23 कांकेर, दिनांक 23/05/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	उत्पादन (टन)
2017-18	2,500	4,100
2018-19	4,200	6,888
2019-20	4,125	6,765
2020-21	4,250	6,970
2021-22	4,247	6,965.08

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खैरखेड़ा का दिनांक 04/10/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- उत्खनन योजना – मॉडिफाईड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 362/खनिज/2018-19 दंतेवाड़ा, दिनांक 01/09/2018 द्वारा अनुमोदित है।

E:\BWA_24AC_January 2022 to January 2023\BWA_24AC_24AC Final Meeting\24AC 2 Supplementary Minutes of 24AC Meeting dated 04-06-2023 Page No. 1 of 1.docx

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1134/खनिज/उ.प./2019-20 कांकेर, दिनांक 28/02/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1133/खनिज/उ.प./2019-20 कांकेर, दिनांक 28/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण — यह शासकीय भूमि है। लीज मोहम्मद जावेद के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 16/12/1998 से 15/12/2018 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 10 वर्षों की, दिनांक 16/12/2018 से 15/12/2028 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी (सामान्य), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/482, दिनांक 13/03/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आबादी ग्राम-खैरखेड़ा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-खैरखेड़ा 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-लखनपुरी 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण — जियोलॉजिकल रिजर्व 18,42,696 टन एवं माईनेबल रिजर्व 8,21,320 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,100 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई कुल 30 मीटर है, जिसमें से पहाड़ी क्षेत्र 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,500 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 9 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	91,245	षष्ठम	91,245
द्वितीय	91,245	सप्तम	91,245
तृतीय	91,245	अष्टम	91,245
चतुर्थ	91,245	नवम	91,170
पंचम	91,245		

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 366 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 18,300 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,84,000 रुपये, खाद के लिए राशि 3,660 रुपये एवं पांच वर्षों हेतु रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,80,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,85,960 रुपये का पांच वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
14. **समिति का मत** है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।

12. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 521वीं बैठक दिनांक 27/03/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 17/01/2025 एवं 04/06/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 645वीं बैठक दिनांक 04/06/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक 675, दिनांक 29/08/2024 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार सभी शर्तों का पूर्ण पालन किया जाना बताया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण कर पौधों का फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है। परंतु निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण पौधों का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 134, दिनांक 16/01/2025 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	उत्पादन (टन)
2022-23	2,460	4,034.4
2023-24	880	1,443.2
2024-25 (नवम्बर 2024 तक)	280	459.2

अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 18,42,696 टन एवं माईनेबल रिजर्व 8,21,320 टन तथा वर्तमान स्थिति में आर.क्यू.पी. द्वारा किये गये गणना अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 18,09,201 टन एवं माईनेबल रिजर्व 7,87,825 की प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

4. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment	Amount for CER Activities	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)
------------------------------	----------------------------------	---------------------------	---

Rupees)	to be Spent	(in Lakh Rupees)	Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
			Following activities at, Govt Primary School Village- Khaikheda	
	2%	0.768	Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC	0.40
			Running Water Facility for toilets and kitchen	0.40
			Total	0.80

5. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कंट्रोल ब्लास्टिंग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, खनिज नियमों के तहत सीमांकन, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर के सेपटी जोन में रख कर वृक्षारोपण करने, ओवरबोर्डन को खनिज विभाग के सहमति से विक्रय करने आदि बाबत शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 05 वर्षों तक रख-रखाव किये जाने तथा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यों की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं होने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ). दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं होने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. ऊपरी मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
14. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, जिला-कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि/2025/2014 कांकेर, दिनांक 08/04/2025 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र लगभग 500 मीटर एवं जैव विविधता क्षेत्र 2 कि.मी. की दूरी पर है तथा 10 कि.मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क, अभ्यारण्य अवस्थित नहीं है।
15. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1134/खनिज/उ.प./2019-20 कांकेर, दिनांक 28/02/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-खैरखेड़ा) का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized affidavit) एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुशंसा की जाती है।
3. मेसर्स खैरखेड़ा ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.-मोहम्मद जावेद) को ग्राम-खैरखेड़ा, तहसील-चारागा, जिला-कांकेर के खसरा क्रमांक 1626 एवं 2640/1 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर, क्षमता - 91,245

उन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-01 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स कमलेश कुमार मिश्रा अर्थ क्ले क्वारी, ग्राम-सोनपुर, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2456)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 430494/ 2023, दिनांक 23/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 12/07/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 18/08/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई, ऑनलाईन परिवेश पोर्टल में तकनीकी त्रुटि होने के कारण में प्रस्तुत जानकारी दिनांक 17/10/2023 प्रदर्शित हो रहा है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-सोनपुर, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 405 (पार्ट), 408, 409, 413 एवं 414, कुल क्षेत्रफल-1.5 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.आई.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.आई.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 493वीं बैठक दिनांक 26/10/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कमलेश कुमार मिश्रा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 405 (पार्ट), 408, 409, 413 एवं 414, कुल क्षेत्रफल-1.5 हेक्टेयर, क्षमता-2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-दुर्ग द्वारा दिनांक 21/02/2017 को जारी की गई।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 781/खनि.लि.02/खनिज/2023 दुर्ग, दिनांक 07/08/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2015-16	1,480
2016-17	1,800
2017-18	100
2018-19	1,300
2019-20	500
2020-21	2,000
2021-22	1,200
2022-23	1,400

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - ईंट निर्माण के संबंध में ग्राम पंचायत सोनपुर का दिनांक 12/08/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना - क्वॉरी प्लान प्रस्तुत किया गया है जो खनि अधिकारी, जिला-बालोद के पृ. ज्ञापन क्र. 984-85/खनि.लि./खनिज/2016 बालोद, दिनांक 04/10/2016 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 781/खनि.लि.02/खनिज/2023 दुर्ग, दिनांक 07/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 781/खनि.लि.02/खनिज/2023 दुर्ग, दिनांक 07/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाइन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। 200 मीटर की परिधि में तालाब एवं खारून नदी स्थित है।

चतुर्थ	2,000	नवम	2,000
पंचम	2,000	दशम	1,066

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 330 नग वृक्षारोपण किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 82,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,97,000 रुपये, खाद के लिए राशि 33,000 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,71,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 5,83,500 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,34,560 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

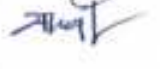
Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
39	2%	0.78	Following activities at, Govt. middle school Village- sonpur	
			Plantation at school Boundary	1.346
			Total	1.346

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर पर (आम, नीम, कदम एवं जामुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,600 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्रधानाध्यापक (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
17. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि वेस्ट मटेरियल की कुल मात्रा 5,000 टन में से आवश्यकता अनुसार रास्ते में









मरम्मत किया जायेगा एवं अतिरिक्त यदि बचे तो खनिज विभाग के सहमति से विक्रय किया जायेगा।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा का किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण हेतु सोकपिट बनाया गया है। इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन की कॉपी सदस्य सचिव पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्रस्तुत किया गया है।
26. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एक लाख ईट निर्माण हेतु कितने टन कोयला की आवश्यकता के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. वर्तमान में एफ.सी.बी.टी.के. किल्ल स्थापित है। एफ.सी.बी.टी.के. किल्ल से जिग-जैग किल्ल में परिवर्तन किये जाने हेतु तकनीकी विवरण प्रस्तुत किया जाए।
3. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. भारत सरकार वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 143(अ), दिनांक 22/02/2022 के अनुसार जिग-जैग किल्ल

को 02 वर्ष (अर्थात् 21/02/2024) तक स्थापित किये जाने बाबात् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

5. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के तहत परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु संबंधित नरती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग को पत्र लेख किया जाए।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 493वीं बैठक दिनांक 26/10/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 04/06/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 645वीं बैठक दिनांक 04/06/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एक लाख ईट निर्माण हेतु 20 टन कोयला, 50 से 60 घनमीटर पानी एवं 200 घनमीटर मिट्टी (100 घनमीटर मिट्टी एवं 100 घनमीटर प्लाई ऐश) की आवश्यकता होती है।
2. वर्तमान में एफ.सी.बी.टी.के. किल्न स्थापित है। एफ.सी.बी.टी.के. किल्न से जिग-जैग किल्न में परिवर्तन किये जाने हेतु तकनीकी विवरण प्रस्तुत किया गया है।
3. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. भारत सरकार वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 143(अ), दिनांक 22/02/2022 के अनुसार जिग-जैग किल्न को 02 वर्ष (अर्थात् 21/02/2024) तक स्थापित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला-दुर्ग के झापन क्रमांक/तक.अधि./2024/364 दुर्ग, दिनांक 21/01/2024 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में "उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार के ईमारती, गैर ईमारती एवं फलदार वृक्ष नहीं पाया गया है तथा वनक्षेत्र से दूरी 40.60 कि.मी. पर स्थित स्वीकृत मिट्टी उत्खननपट्टा (चिमनी ईट भट्ठा) के उत्खनिपट्टा क्षेत्र पर नियमानुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।" का उल्लेख है।

Quinlan

10. 100

15
20/11/20

6. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
7. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 781/खनि.लि. 02/खनिज/2023 दुर्ग, दिनांक 07/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-सोनपुर) का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स कमलेश कुमार मिश्रा अर्थ क्ले क्वारी को ग्राम-सोनपुर, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग के खसरा क्रमांक 405 (पार्ट), 408, 409, 413 एवं 414 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.5 हेक्टेयर, क्षमता-2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-02 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

- मेसर्स कड़मपाल आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री अमन अग्रवाल), ग्राम-कड़मपाल, तहसील-बघेली, जिला-दंतवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2986)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाइन आवेदन	ई.सी. - 457104 एवं 29/12/2023	
खदान का प्रकार	साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.35 हेक्टेयर एवं 26,985 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	815/2	संलग्न है।
भू-स्वामित्व	शासकीय भूमि	संलग्न है।

बैठक का विवरण	510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
---------------	-------------------------------	---

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 15/03/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

समिति की 522वीं बैठक दिनांक 28/03/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/ अनुरोध पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/03/2023 के माध्यम से समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

(ब) समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024:

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. नोन्हरे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अवगत कराया गया। तदोपरांत छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माध्यम से उक्त की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन हेतु विचाराधीन था।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई-मेल दिनांक 08/03/2025 के माध्यम से 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025 को एस.ई.ए.सी.-3, छत्तीसगढ़ के समक्ष पुनः प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025:

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through

500 मीटर	दिनांक 20/12/2023 1 खदान, रकबा 2.69 एकड़
200 मीटर	दिनांक 20/12/2023 प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं
लीज डीड	लीज धारक - श्री अमन अग्रवाल अवधि - 14/07/2010 से 13/07/2040
वन विभाग एन.ओ.सी.	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दन्तेवाड़ा वनमण्डल दन्तेवाड़ा द्वारा जारी दिनांक 05/02/2024 परिक्षेत्र अधिकारी बघेली के प्रतिवेदन अनुसार "आवेदित स्थल आरक्षित वन, संरक्षित वन, राजस्व वन या नारंगी क्षेत्र से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है एवं प्रस्तावित क्षेत्र की सीमा से 05 कि.मी. के भीतर कोई अभयारण्य/ राष्ट्रीय उद्यान/ टाईगर रिजर्व स्थित नहीं है।" का उल्लेख है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी - पिनावघेली 2 कि.मी. स्कूल - किरंदुल 4 कि.मी. अस्पताल - किरंदुल 4 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 25 कि.मी. राज्यमार्ग - 12 कि.मी. कोयर नदी 800 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	आर.क्यू.पी. के अनुसार 5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग - हाँ जियोलॉजिकल 4,20,678 टन माईनेबल 2,56,548 टन प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर (हिल लॉक 12 मीटर एवं 6 मीटर सतही गहराई) बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष क्रशर स्थापित एवं प्रस्तावित नहीं है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 23,264 टन षष्ठम 23,264 टन द्वितीय 23,264 टन सप्तम 26,985 टन तृतीय 23,264 टन अष्टम 26,985 टन चतुर्थ 23,264 टन नवम 26,985 टन

	पंचम 23,264 टन दशम 26,985 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 3,412 वर्गमीटर उत्खनित – नहीं
ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन प्रबंधन योजना	पत्थरिला क्षेत्र होने के कारण ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है।
जल आपूर्ति	मात्रा – 4 घनमीटर स्त्रोत – ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से। ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 300 नग किया गया है। लीज के 7.5 मीटर क्षेत्र पत्थरिला क्षेत्र होने के कारण वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 516, क्षेत्रफल 0.31 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है।
शपथ पत्र (Notarized undertaking)	लीज क्षेत्र के चारों (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र 7.5 मीटर में) कोई भी उत्खनन का कार्य नहीं किया गया है और भविष्य में भी कोई उत्खनन का कार्य नहीं किया जायेगा।, कंट्रोल ब्लारिस्टिंग किये जाने, खदान से निकलने वाले ऊपर मिट्टी को लीज के प्रतिबंधित क्षेत्र 7.5 मीटर में रखा जायेगा एवं उसका उपयोग वृक्षारोपण हेतु किया जायेगा। खदान से निकलने वाली मिट्टी को कहीं भी विक्रय नहीं किये, लीज क्षेत्र के चारों ओर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र 7.5 मीटर में) सघन वृक्षारोपण किया एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत रखने, मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत भू-प्रवेश अनुमति के पश्चात् खदान में बाउण्ड्री पिल्लर्स कराकर सीमांकन का कार्य किये जाने, हमारे विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।, हमारे विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804 (अ) दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।, छत्तीसगढ़ आदर्श पुर्नवास नीति के तहत स्थानीय लोगों को

	रोजगार दिया जायेगा।, खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जायेगा तथा इनका संरक्षण किया जायेगा। परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पर्यावरण डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
श्रेणी	बी-2 आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 2.438 हेक्टेयर है।

1. समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2023-24 में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. पूर्व में जिला स्तरीय समाधात निर्धारण प्राधिकरण, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्रमांक 1036/डी.आई.ए.ए./ई.सी./2016 दंतेवाड़ा दिनांक 07/12/2016 में खसरा क्रमांक 816 का उल्लेख है। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दंतेवाड़ा (छ.ग.) के पारित आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र./2/अ-6(अ)/2013-2014 दिनांक 26/05/2014 के अनुसार खसरा क्रमांक 816 के बंदोबस्त त्रुटि को दुरुस्त कर खसरा क्रमांक 815/2 करते हुए गौण खनिज के उत्खनन पट्टे की अवधि विस्तार करने हेतु अनुपूरक पट्टाविलेख का अनुबंध दिनांक 03/03/2017 को किया गया है।
3. समिति द्वारा के.एम.एल. के माध्यम से देखने पर पाया कि क्रशर का कुछ भाग लीज क्षेत्र के भीतर स्थापित किया गया है। उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्रशर को लीज क्षेत्र के बाहर स्थापित किये जाने तथा क्रशर का संबंधित छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जल एवं वायु सम्मति लिये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30.87	2%	0.61	Following activities at Nearby, Village-Kadampal	

5. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-कड़मपाल) का क्षेत्रफल 1.35 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. मेसर्स कड़मपाल आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री अमन अग्रवाल) को ग्राम-कड़मपाल, तहसील-बघेली, जिला-दंतवाड़ा के खसरा क्रमांक 815/2 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.35 हेक्टेयर, क्षमता - 26,985 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-03 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स नवागांव भावगीर आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री मोहम्मद रफिक), ग्राम-नवागांव भावगीर, तहसील व जिला-कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2433)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 429809/2023, दिनांक 19/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-नवागांव भावगीर, तहसील व जिला-कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 54, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-26,169 टन प्रतिवर्ष है।

वर्तमान में माननीय एनजीटी, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. क्रमांक 142/2022 में पारित आदेश दिनांक 07/12/2022 द्वारा आदेशित किया गया है कि "mining lease in which environmental clearance was granted by DEIAA in view of amendment notification dated 15/01/2016 are still continuing even after passing of order dated 13/09/2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) and issuance of OM dated

- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला- उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1395/खलि-1/उ.प./न.क्र./2023 उ.ब. कांकेर, दिनांक 10/07/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2018-19	1,085
2019-20	268
2020-21	2,012
2021-22	111
2022-23	964

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के अनुक्रम में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन पृ. क्र. 433/एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22/05/2023 के द्वारा संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की नस्तियों को एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया गया है। डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किये गये आवेदित खदान से संबंधित नस्ती इस कार्यालय में आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर-बस्तर-कांकेर को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किये गये आवेदित खदान से संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाना आवश्यक है।
- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नवागांव भावगीर का दिनांक 09/02/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना - क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1899/खनिज/2016 दंतेवाड़ा, दिनांक 28/03/2016 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 997/खनिज/ख.लि./उ.प./2023-24 कांकेर, दिनांक 18/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 999/खनिज/ख.लि./उ.प./2023-24 कांकेर, दिनांक 18/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे स्कूल, मंदिर, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। मनकेशरी डैम Catchment लगभग 50 मीटर की दूरी पर है।

7. भूमि एवं लीज का विवरण — यह शासकीय भूमि है। लीज श्री मो. रफीक के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 06/02/2008 से 05/02/2038 तक की अवधि हेतु वैध है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल, जिला-कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2009/2684 कांकेर, दिनांक 28/07/2009 से जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र के समीप आरक्षित वन लगा हुआ है एवं आवेदित क्षेत्र में 67 नग मिश्रित प्रजाति के वृक्ष हैं। कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल, कांकेर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि वन विभाग से वन क्षेत्र से खदान की दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण के दौरान स्पष्ट बताया गया कि वन क्षेत्र से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी पर खदान होने से ही प्रकरण पर विचार किया जाएगा।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आबादी ग्राम-नवागांव भावगीर 1.5 कि.मी. , स्कूल ग्राम-नवागांव भावगीर 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल कांकेर 3.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कि.मी. दूर है। दूध नदी 500 मीटर एवं मनकेशरी बांध 50 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण — जियोलॉजिकल रिजर्व 13,00,000 टन, माईनेबल रिजर्व 9,04,939 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 8,14,445 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,207.5 वर्गमीटर है। ओपन कारस्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। वर्तमान में लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5,668.0	षष्ठम	15,444.0
द्वितीय	10,202.4	सप्तम	24,230.7
तृतीय	13,260.0	अष्टम	25,006.8
चतुर्थ	17,238.0	नवम	26,169.0
पंचम	7,468.0	दशम	9,256.0

13. ओव्हर बर्डन की मात्रा 90,493.92 टन है, जिसमें से आवश्यकतानुसार ओव्हर बर्डन का उपयोग पहुँच मार्ग के रख-रखाव में किया जाएगा एवं शेष ओव्हर बर्डन को विक्रय किया जाएगा।
14. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
15. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 840 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 58,800 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,40,700 रुपये, खाद के लिए राशि 8,400 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 56,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 4,83,900 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 6,50,880 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह आया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्तर दिशा में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक उक्त उत्खनित क्षेत्र को माईनिंग में समाहित करते हुये संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेप्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

			(in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at, Government Primary School at, Village- Navagaon Bhavgir
			Plantation
			1.34
			Total
			1.34

19. सी.ई.आर. के तहत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कदंब, पीपल आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 29,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,600 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
20. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
21. समिति द्वारा निम्नानुसार तथ्य पाये गये:-

- i. खनिज विभाग द्वारा जारी 200 मीटर प्रमाण पत्र अनुसार मनकेशरी डैम Catchment लगभग 50 मीटर की दूरी पर है। माईनिंग प्लान अनुसार खदान में ब्लास्टिंग का उल्लेख है।

छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/03/2015 के अध्याय-दो के बिन्दु क्रमांक 5(ग) के अनुसार "जो किसी पुल, राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग, रेलपथ से, सभी दिशाओं में, 100 मीटर की दूरी के भीतर" का उल्लेख है। डैम अत्यन्त महत्वपूर्ण संरचना है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल के माध्यम से गूगल अर्थ से अवलोकन करने पर डैम से 50 मीटर पर उत्खनन पाया गया तथा लीज के बाहर डैम की तरफ भी उत्खनन किया जाना पाया गया है। साथ ही लीज सीमा के चारों ओर 7.5 मीटर (प्रतिबंधित क्षेत्र) की चौड़ी सीमा पट्टी में बांध की तरफ भी उत्खनन कार्य किया गया है।

- ii. के.एम.एल. फाईल के माध्यम से गूगल अर्थ से अवलोकन करने पर समिति द्वारा पाया गया कि क्रशर का अधिकांश भाग लीज क्षेत्र के बाहर स्थापित है एवं कुछ भाग लीज क्षेत्र के भीतर 7.5 मीटर (प्रतिबंधित क्षेत्र) की चौड़ी सीमा पट्टी में स्थापित है। जबकि माईनिंग प्लान अनुसार 7.5 मीटर (प्रतिबंधित क्षेत्र) की चौड़ी सीमा पट्टी को छोड़कर क्रशर को लीज क्षेत्र के भीतर स्थापित किया जाना था।

उपरोक्त दोनों बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और न ही माईनिंग प्लान एवं जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

- iii. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल, जिला-कांकेर के प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र के समीप आरक्षित वन लगा हुआ है एवं आवेदित क्षेत्र में 67 नग मिश्रित प्रजाति के वृक्ष हैं। कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल, कांकेर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का

मत है कि आवेदित क्षेत्र में उत्खनन हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (वन क्षेत्र से खदान की दूरी संबंधी जानकारी का उल्लेख) प्राप्त किया गया है अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं है।

- iv. खदान से मनकेशरी डैम लगभग 50 मीटर की दूरी पर है एवं माईनिंग प्लान अनुसार खदान में ब्लास्टिंग का उल्लेख है। समिति का मत है कि डैम की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उक्त स्थल में ब्लास्टिंग करने हेतु डी.जी.एम.एस. से अनुमति प्राप्त किया गया अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं है। साथ ही आवेदित क्षेत्र में ब्लास्टिंग से डैम को क्षति होगी अथवा नहीं? के संबंध में कोई स्टडी कराई गई है अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं है।

समिति का यह भी मत है कि उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है अथवा नहीं? यह भी स्पष्ट नहीं है।

- v. समिति का मत है कि मनकेशरी डैम का डूबान क्षेत्र के संबंध में जानकारी जल संसाधन विभाग से लिया जाना आवश्यक है।
22. खदान में सुरक्षा के दृष्टि से कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टि से लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित क्षेत्र एवं पहुंच मार्ग के किनारे यथासंभव वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर-बस्तर-कांकेर को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किये गये आवेदित खदान से संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और न ही माईनिंग प्लान एवं जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का बिन्दुवार पालन सुनिश्चित किया गया। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
4. आवेदित क्षेत्र में उत्खनन हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन क्षेत्र से खदान की दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में प्राप्त नहीं किया गया है तो अब उक्त प्रमाण पत्र वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. आवेदित क्षेत्र में 67 नग मिश्रित प्रजाति के वृक्ष खड़े हैं, उनकी वर्तमान स्थिति के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
6. खदान से मनकेशरी डैम लगभग 50 मीटर की दूरी पर है एवं माईनिंग प्लान अनुसार खदान में ब्लास्टिंग का उल्लेख है। डैम की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उक्त स्थल में ब्लास्टिंग करने हेतु डी.जी.एम.एस. से अनुमति प्राप्त किया गया अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं है। साथ ही आवेदित क्षेत्र में ब्लास्टिंग से डैम को क्षति होगी अथवा नहीं? के संबंध में कोई स्टडी कराई गई है अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है अथवा नहीं? यह भी स्पष्ट नहीं है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
7. मनकेशरी डैम का डूबान क्षेत्र के संबंध में जानकारी जल संसाधन विभाग से लिया जाए।
8. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
9. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
10. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

11. खदान से जनित ओवर बर्डन को नियमानुसार खनिज विभाग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से अनुमति प्राप्त किये जाने के पश्चात् विक्रय किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
13. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
14. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
15. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के जापन दिनांक 05/10/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 26/12/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु ई-मेल के माध्यम से अनुरोध किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को भी पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु दिनांक 22/06/2023 के माध्यम से अनुरोध किया गया है, जिसके परिपेक्ष्य में जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और न ही माईनिंग प्लान एवं जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का बिन्दुवार पालन सुनिश्चित किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खनन कार्य अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार किया गया एवं समय-समय पर खनि निरीक्षक एवं माईनिंग अधिकारी इसका जाँच किया करते हैं। जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का बिन्दुवार पालन यथासंभव प्रयास किया गया एवं भविष्य में किया जावेगा। पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है।

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. आवेदित क्षेत्र के समीप आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 29 लगा हुआ है। अतः लीज क्षेत्र में वन क्षेत्र की सीमा की तरफ 250 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर उत्खनन कार्य किये जाने तथा आगामी वर्षों की वर्षवार उत्खनन योजना हेतु तैयार किये जाने वाले माईनिंग स्कीम में 250 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज सीमा से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 04/06/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 645वीं बैठक दिनांक 04/06/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 में क्षमता विस्तार के प्रकरणों हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि आवेदित प्रकरण क्षमता विस्तार का नहीं है। अतः आवेदित प्रकरण हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन के संबंध में स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र (Self-compliance report) प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मॉडिफाईड क्वारी प्लान, एलांग विथ माईन क्लोजर प्लान विथ इन्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 663-ए/ख.लि.3/स्था./2024 धमतरी, दिनांक 13/09/2024 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 10,85,656 टन, माईनेबल रिजर्व 6,30,747 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 6,24,754 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,772 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। वर्तमान में लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 28 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है,

जिसका क्षेत्रफल 1,742 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	26,169
द्वितीय	26,169
तृतीय	26,169
चतुर्थ	26,169
पंचम	26,169

- कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कांकेर वनमण्डल, जिला-कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा. चि./2024/788 कांकेर, दिनांक 05/02/2024 से जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र से 327 मीटर दूरी पर होने का उल्लेख है, जबकि पूर्व में कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कांकेर वनमण्डल, जिला-कांकेर के ज्ञापन दिनांक 21/07/2023 को जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र के समीप आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 29 लगा होने का उल्लेख था। उक्त दोनों प्रमाण पत्रों की दूरी में भिन्नता है। अतः कार्यालय वनमण्डलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की दूरी की भिन्नता के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- लीज सीमा से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114/2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्तर दिशा में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। समिति का मत है कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि:-

- लीज सीमा से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
- कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कांकेर वनमण्डल, जिला-कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा. चि./2024/788 कांकेर, दिनांक 05/02/2024 से जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र से 327 मीटर दूरी पर होने का उल्लेख है, जबकि पूर्व में कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कांकेर वनमण्डल, जिला-कांकेर के ज्ञापन दिनांक 21/07/2023 को जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र के समीप आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 29 लगा होने का उल्लेख था। उक्त दोनों प्रमाण पत्रों की दूरी में भिन्नता है। अतः जारी प्रमाण पत्रों की दूरी की भिन्नता के संबंध में कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र क्रमांक 1548, दिनांक 05/10/2023 एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र 1547, दिनांक 05/10/2023 को लेख किया गया था, जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः उपरोक्त हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पुनः स्मरण पत्र लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।
परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स वी.वी. क्रशर स्टोन, आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री वशिष्ठ कश्यप), ग्राम-जुनवानी, तहसील-नरहरपुर, जिला-कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2479)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 431045/ 2023, दिनांक 27/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-जुनवानी, तहसील-नरहरपुर, जिला-कांकेर स्थित खसरा क्रमांक-298, कुल क्षेत्रफल-1.7 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-44,931 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/12/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 502वीं बैठक दिनांक 13/12/2023:

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In

view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
भू-स्वामित्व	खसरा क्रमांक 298	शासकीय भूमि
बैठक का विवरण	502 वीं बैठक दिनांक 13/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री वशिष्ठ कश्यप, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – साधारण पत्थर खसरा क्रमांक – 298 क्षेत्रफल – 1.70 हेक्टेयर क्षमता – 44,931 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 26/12/2016	डी.ई.आई.ए.ए., जिला-उत्तर बस्तर कांकर
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व-प्रमाणित – नहीं	पूर्व में जारी ई.सी. के तहत निर्धारित शर्तानुसार 575 नग पौधों का वृक्षारोपण कर नम्बरिंग एवं फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन	दिनांक 25/05/2023 वर्ष 2018-19 में 6,840 घनमीटर वर्ष 2019-20 में 5,160 घनमीटर वर्ष 2020-21 में 5,000 घनमीटर वर्ष 2021-22 में 3,515 घनमीटर वर्ष 2022-23 में 2,860 घनमीटर	पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 26/12/2016 से दिनांक 31/03/2018 तक एवं दिनांक 01/04/2023 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.		अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति पठनीय नहीं है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 10/06/2016	
500 मीटर	दिनांक 25/05/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 25/05/2023	डबरी – 100 मीटर
लीज डीड	लीज डीड अपठनीय है।	
वन विभाग	वन मण्डलाधिकारी, (सामान्य) वन मण्डल	आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र

एन.ओ.सी.	कांकर द्वारा जारी ज्ञापन दिनांक 20/06/2007 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।	से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी - चनार 1.2 कि.मी. स्कूल - चनार 1.2 कि.मी. अस्पताल- चवांड 1.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग- 10 कि.मी. राज्यमार्ग- 8 कि.मी.	महानदी - 3 कि.मी.
पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कारस्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग - हॉ रिजर्व - जियोलॉजिकल - 5,70,879 टन माईनेबल - 3,96,816 टन प्रस्तावित गहराई 12 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष क्रशर प्रस्तावित - नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 23,070 टन द्वितीय 32,310 टन तृतीय 16,632 टन चतुर्थ 44,931 टन पंचम 44,931 टन षष्ठम 44,931 टन सप्तम 44,931 टन अष्टम 44,931 टन नवम 44,931 टन दशम 44,931 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सरफेस जियोलॉजिकल प्लान अनुसार उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र का कुछ भाग उत्खनित है।	क्वारी प्लान अपठनीय है।
ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन प्रबंधन योजना		ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
जल आपूर्ति	मात्रा - 4 स्त्रोत - बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण - 768 नग किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 12,36,680 रुपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा डी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग, फ्यूजिटिव डस्ट	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking)

	उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, खनिज नियमों के तहत सीमांकन, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आदि बाबत शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। 2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि वेस्ट मेटेरियल कुल मात्रा 5,810.2 को आवश्यकतानुसार रास्ते की मरम्मत में उपयोग किया जावेगा, अतिरिक्त बचे हुये को खनिज विभाग की सहमति से बिक्री किया जावेगा।	प्रस्तुत किये गये हैं:- 1. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी-2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 1.7 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
44.50	2%	0.89	Following activities at, Government Middle School Village- Junwani	
			Plantation	1.34
			Total	1.34

सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर के भीतर (पीपल, नीम, आम, जामुन एवं कदम) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रुपये.

38

फेंसिंग के लिए राशि 5,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,600 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही हेतु पालन प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी ई.सी. के तहत निर्धारित शर्तानुसार 575 नग पौधों का वृक्षारोपण कर नम्बरिंग एवं फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 26/12/2016 से दिनांक 31/03/2018 तक एवं दिनांक 01/04/2023 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
4. ग्राम पंचायत जुनवानी का (बैठक दिनांक, सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर सहित) पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज डीड (लीज धारक, वैधता अवधि सहित) की पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. खारी प्लान का पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए। साथ ही यदि 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में उत्खनन किया गया हो तो इस संबंध में रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
7. ऊपरी मिट्टी प्रबंधन (मोटाई एवं मात्रा सहित) योजना प्रस्तुत किया जाए।
8. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 502 वीं बैठक दिनांक 13/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 04/06/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 645वीं बैठक दिनांक 04/06/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 में क्षमता विस्तार के प्रकरणों हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि आवेदित प्रकरण क्षमता विस्तार का नहीं है। अतः आवेदित प्रकरण हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन के संबंध में स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र (Self-compliance report) प्रस्तुत किया गया है।

2. पूर्व में जारी ई.सी. के तहत निर्धारित शर्तानुसार 575 नग पौधों का वृक्षारोपण कर नम्बरिंग एवं फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1721/खलि-1/उ.प./न.क्र./2007 कांकेर, दिनांक 19/09/2024 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2016-17	1,700
2017-18	10,467
2018-19	6,840
2019-20	5,160
2020-21	5,900
2021-22	3,515
2022-23	2,860
2023-24	1,500

4. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जुनवानी का दिनांक 04/04/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. लीज मेसर्स वी.वी. क्रशर स्टोन के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 17/11/2007 से 16/11/2037 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मॉडिफाईड क्वारी प्लान, एलांग विथ माईन क्लोजर प्लान विथ इन्क्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 688/ख.लि.3/स्था/2024 धमतरी, दिनांक 20/09/2024 द्वारा अनुमोदित है। साथ ही यदि 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के उत्तर दिशा की तरफ 862 वर्गमीटर 2 मीटर की गहराई एवं पूर्व दिशा की तरफ 1,288 वर्गमीटर 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन किया गया है। उक्त उत्खनित क्षेत्र के पुनःभराव हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार पुनःभराव हेतु राशि 3,08,100/- खर्च किया जाना प्रस्तावित है।
7. लीज क्षेत्र में कुल 3,012 घनमीटर, मोटाई 1 मीटर ऊपरी मिट्टी उत्पन्न होगा जिसका उपयोग पुनःभराव एवं लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण कार्य में किया जाएगा।
8. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कांकेर वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2024/1682 कांकेर, दिनांक 05/03/2024 द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदित क्षेत्र से वनक्षेत्र 1.17 कि.मी. की आकाशीय दूरी पर है।
9. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

10. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- आवेदित खदान (ग्राम-जुनवानी) का क्षेत्रफल 1.7 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
- मेसर्स वी.वी. क्रशर स्टोन, आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री वशिष्ठ कश्यप), को ग्राम-जुनवानी, तहसील-नरहरपुर, जिला-कांकेर के खसरा क्रमांक 298 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.7 हेक्टेयर, क्षमता - 44,931 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-04 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

- मेसर्स गणपति मेटल्स एवं मिनरल्स (केवटीनटोला आर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम-केवटीनटोला, तहसील-कांकेर, जिला-उ.ब. कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2971)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. - 456015 एवं 22/12/2023	
खदान का प्रकार	साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित (क्षमता विस्तार)
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.62 हेक्टेयर एवं 50,115 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	655(पार्ट)	संलग्न है।
भू-स्वामित्व	शासकीय भूमि	संलग्न है।
बैठक का विवरण	510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री शैरी गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार - साधारण पत्थर खसरा क्रमांक - 655 क्षेत्रफल - 1.62 हेक्टेयर	डी.ई.आई.ए.ए., जिला-उत्तर बस्तर कांकेर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता



	क्षमता - 27,405 टन/वर्ष दिनांक - 21/03/2017	दिनांक 12/06/2037 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व-प्रमाणित - हाँ क्षमता विस्तार के तहत - एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर - अप्राप्त	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण - 216 नग चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन		विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष अनुसार) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत केवटीनटोला दिनांक 06/08/2003	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन		क्वारी प्लान अनुमोदन पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
500 मीटर	दिनांक 30/11/2023	अवस्थित अन्य खदानों की संख्या 1, क्षेत्रफल 1.6 हेक्टेयर है।
200 मीटर	दिनांक 30/11/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं 150 मीटर की दूरी पर ग्रामीण मार्ग एवं तालाब स्थित है।
लीज डीड	वर्तमान लीज धारक - श्री गणपति मेटल्स एवं मिनरल्स अवधि-13/06/2007 से 12/06/2037	पूर्व में लीज श्री मोहम्मद आरिफ के नाम पर थी।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल कांकेर द्वारा जारी दिनांक 08/12/2006	मिश्रित प्रजाति के वृक्षारोपण की दूरी 1/2 कि.मी. की दूरी पर है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी - केवटीनटोला 250 मीटर स्कूल - केवटीनटोला 250 मीटर अस्पताल - चिलहटी 4.4 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 15.5 कि.मी. राज्यमार्ग - 2.9 कि.मी.	तालाब - 150 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय	संलग्न है।

	संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कारस्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग – हाँ जियोलॉजिकल 5,81,360 टन माईनेबल 3,53,314 टन रिकवरेबल 3,17,982 टन प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर (8 मीटर हील एवं 10 मीटर सतह से गहराई) बेंच की ऊँचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 7.05 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं।	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 50,115 टन द्वितीय 50,115 टन तृतीय 50,115 टन चतुर्थ 50,115 टन पंचम 50,076 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 4,050 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन प्रबंधन योजना	आवेदित क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी उपस्थित नहीं है।	संलग्न है।
जल आपूर्ति	मात्रा – 3.5 घनमीटर	जल की आपूर्ति स्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 765 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 6,62,575 रुपये
शपथ पत्र		शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
श्रेणी	बी-2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 3.22 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.5	2%	0.27	Following activities at, Village-Kewatintola	
			Plantation at Govt.	4.00

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
14. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
15. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 04/06/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 645वीं बैठक दिनांक 04/06/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया नहीं किया गया है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत किये गये वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) का फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. क्वारी प्लान अनुमोदन पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रस्तुत प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्र. 762-ए/खनिज/2016 दंतेवाड़ा, दिनांक 05/09/2016 द्वारा अनुमोदित है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 248/खलि-1/ख.प./न.क्र./2023 उ.ब. कांकेर, दिनांक 05/02/2024 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018-19	6,717
2019-20	23,492
2020-21	27,285
2021-22	27,025

5. जल की आपूर्ति स्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) हेतु ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव डी.पी.आर. सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पयुजिटिव इस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा डी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
9. खदान क्षेत्र के आस-पास में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
10. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं कियो जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
14. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
15. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

01/08/2024, 10:47C, January 2023 to January 2008(1)10/01/2024, 10:47C, January 2023 to January 2008(1)

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. जल की आपूर्ति स्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) हेतु ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव डी.पी.आर. सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा डी.जी.एम.एस. द्वारा कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. खदान क्षेत्र के आस-पास में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं कियो जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
11. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।





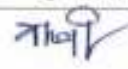




12. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षर
श्री जयसिंह म्हस्के, अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.-3 छत्तीसगढ़	
डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, एस.ई.ए.सी.-3 छत्तीसगढ़	
श्री रमाशंकर मिश्रा, सदस्य, एस.ई.ए.सी.-3 छत्तीसगढ़	
डॉ. अजय विक्रम अहिरवार, सदस्य, एस.ई.ए.सी.-3 छत्तीसगढ़	
श्री समीर स्वरूप, सदस्य, एस.ई.ए.सी.-3 छत्तीसगढ़	
सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.-3 छत्तीसगढ़	

मेसर्स खैरखेड़ा ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.—मोहम्मद जावेद)

को खसरा क्रमांक 1626 एवं 2640/1, कुल लीज क्षेत्र 2 हेक्टेयर, ग्राम-खैरखेड़ा, तहसील-चारामा, जिला-कांकर में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन - 91,245 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 91,245 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ईआई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल, आक्षेप एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में अपूर्ण पालन किये गये शर्तों का कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।
6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनः उपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षा ऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण

संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी चिमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न पर्यावरणीय डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।
12. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।
16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।
17. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिह्नीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत

प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड़डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

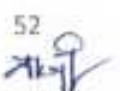
Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
	2%	0.768	Following activities at, Govt Primary School Village- Khaikheda	
			Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC	0.40
			Running Water Facility for toilets and kitchen	0.40
			Total	0.80

22. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
23. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
25. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 366 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षों तक रख-रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
26. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
27. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
28. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टि हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
31. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। भू-जल स्तर को क्षति न पहुंचे, इसका समुचित ध्यान रखा जाए।
32. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
34. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय







व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

35. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
36. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
37. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
38. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
39. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
40. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
41. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
42. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
43. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

44. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
45. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
46. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
47. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.-3


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.-3





12. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनः उपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
13. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)
14. खनिज उत्खनन के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फायूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए।
15. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
16. ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईट के टुकड़ों आदि को भू-भरण एवं रोड के संधारण हेतु उपयोग किया जाए।
17. फलाई ऐश को उड़ने से बचाने के लिए समय-समय पर पानी का छिड़काव किया जावे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे की फलाई ऐश उड़कर आस-पास के क्षेत्रों में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस-पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
18. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहाँ पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
19. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैंक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईट भट्टा क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
21. मिट्टी, प्लाई ऐश एवं ईट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
22. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
39	2%	0.78	Following activities at, Govt. middle school Village- sonpur	
			Plantation at school Boundary	1.346
			Total	1.346

23. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
24. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर पर (आम, नीम, कदम एवं जामुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,600 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
25. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

26. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी वेल्ड), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 330 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षों तक रख-रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
28. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।
29. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
30. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई. आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
32. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
33. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो।
34. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।
35. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
36. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
37. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
38. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी

निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों/विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई. आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्साव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन

मेसर्स कड़मपाल आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री अमन अग्रवाल)

को खसरा क्रमांक 815/2, कुल लीज क्षेत्र 1.35 हेक्टेयर, ग्राम-कड़मपाल, तहसील-बघेली,
जिला-दंतवाड़ा में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन - 26,985 टन प्रतिवर्ष हेतु
पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.35 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 26,985 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल, आक्षेप एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में अपूर्ण पालन किये गये शर्तों का कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।
6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनः उपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण

संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी चिमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्लेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए।
12. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।
16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।
17. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/विक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत

प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वाल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30.87	2%	0.61	Following activities at Nearby, Village-Kadampal	
			Plantation	6.301
			Total	6.301

22. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
23. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम-कड़मपाल के शासकीय भूमि में वृक्षारोपण (नीम, करंज, अर्जुन, कदम आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 7,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 60,600 रुपये, खाद के लिए राशि 500 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 72,000 रुपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 36,000 रुपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 15,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,91,100 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,39,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
24. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना

आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

25. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
26. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 300 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्ष तक रख-रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊँचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
27. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
29. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
32. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। भू-जल स्तर को क्षति न पहुंचे, इसका समुचित ध्यान रखा जाए।
33. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।
34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट/1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

35. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
36. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
37. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट

शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.-3


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.-3



मेसर्स वी.वी. क्रशर स्टोन, आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री वशिष्ठ कश्यप),
को खसरा क्रमांक 298, कुल लीज क्षेत्र 1.7 हेक्टेयर, ग्राम-जुनवानी, तहसील-नरहरपुर,
जिला-कांकेर में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन - 44,931 टन प्रतिवर्ष हेतु
पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.7 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 44,931 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल, आक्षेप एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में अपूर्ण पालन किये गये शर्तों का कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।
6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण

संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी चिमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेंट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए।
12. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।
16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।
17. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/विक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत

प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
44.50	2%	0.89	Following activities at, Government Middle School Village- Junwani	
			Plantation	1.34
			Total	1.34

22. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
23. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर के भीतर (पीपल, नीम, आम, जामुन एवं कदम) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,600 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
24. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना

आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

25. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
26. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 768 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षों तक रख-रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
27. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
29. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
32. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। भू-जल स्तर को क्षति न पहुंचे, इसका समुचित ध्यान रखा जाए।
33. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।
34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

35. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
36. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
37. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट

शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.-3

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.-3

Amir Khan

Handwritten signature: *[Signature]*

me

